

मुख्य वन संरक्षक,
मध्य परिमण्डल, रोहतक।

विषय :

Diversion of 0.008 Ha. Forest Land for access factory belonging to Sh. Sidhant Kapoor situated on Israna-Pardhana Road (ODR), Near Km. Stone No. 5 (RHS) Village Pardhana, Tehsil Israna, Distt. Panipat.

Proposal No.FP/HR/Approach/49726/2020
Date of Proposal:- 15-09-2020

.....

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विषयांकित प्रस्ताव में आपको सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी ने Israna-Pardhana Road (ODR), Near Km. Stone No. 5 (RHS) Village Pardhana, Tehsil Israna, Distt. Panipat फैक्ट्री के रास्ते हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में भेजा है। निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16-07-2021 को किये गये मौका निरीक्षण अनुसार उक्त केस प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.008 हे० वन भूमि का प्रयोग किया जाना है। उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के कोई वृक्ष/पौधे बाधक नहीं हैं। प्रस्तावित केस के बदले प्रतिपूर्ति पौधारोपण Tall Plants Scheme के अन्तर्गत कुल 100 प्लान्ट्स गंगेसर माईनर आर०डी० 18-22 दोनों साईड पर करवाया जाएगा।

अतः आपसे उक्त केस भेजकर अनुरोध है कि उक्त केस पर अगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
प्रस्ताव-ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

पृ० क्रमांक :- 670-7
इसकी एक प्रति-

दिनांक :- 30/07/21

1. Sh. Sidhant Kapoor situated on Israna-Pardhana Road (ODR), Near Km. Stone No. 5 (RHS) Village Pardhana, Tehsil Israna, Distt. Panipat को भेजकर सूचित किया जाता है कि विषयांकित केस वन संरक्षण अधिनियम 1980/2003 के तहत तैयार करके उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। जब तक इस केस की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय/उच्चाधिकारियों से प्राप्त नहीं होती तब तक वन विभाग की सुरक्षित वन भूमि का उपयोग न किया जाये।
2. वन राजिक अधिकारी, पानीपत को भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि प्रस्तावित केस की अनुमति प्राप्त होने तक वन भूमि का उपयोग न होने दिया जाये।

वन मण्डल अधिकारी/०८
पानीपत।
27/7/21